कार्यालय जनपद न्यायाधीश (नजारत अनुभाग),
जनपद न्यायालय, हाथरस।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, हाथरस (मुख्यालय) स्थित 01 फोटोस्टेट मशीन की दुकान (पूर्व में फल–फ्रूट चाट–चबैना की दुकान) एवं नवीन न्यायालय परिसर, वाह्य न्यायालय, सिकन्द्राराऊ में उपलब्ध रिक्त भूमि पर साईकिल स्टैण्ड को वित्तीय वर्ष 2025–2026 (शेष अवधि दिनाँक 31.03.2026 तक) के लिये ठेके पर उठाया जाना है, जिस हेतु नीलामी **दिनाँक 18.11.2025 दिन मंगलवार, सायं 04:30 बजे** नियत है। इच्छुक व्यक्ति समय से नीलामी की बोली बोलने हेतु जनपद न्यायालय परिसर, हाथरस में उपस्थित हों।

नीलामी की आवश्यक शर्तें :–

01. यह ठेका दिनाँक 31.03.2026 तक की अवधि के लिए वैध है।
02. ठेके की बोली बोलने वाले को बोली बोलने से पूर्व बतौर जमानत रू० 5,000/– (पाँच हजार) की धनराशि, मुख्यालय पर स्थित ठेके **(मुख्यालय हेतु)** एवं जमानत रू० 10,000/– (दस हजार) की धनराशि **(वाह्य न्यायालय, सिकन्द्राराऊ हेतु)** को जमा करना होगा। नीलामी की समाप्ति पर यदि उसके नाम ठेका नहीं छूटता है, तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।
03. वित्तीय वित्तीय वर्ष 2025–2026 हेतु मुख्यालय पर स्थित नाम परिवर्तित फोटोस्टेट मशीन की दुकान (पूर्व नाम फल–फ्रूट चाट–चबैना की दुकान) का आधार मूल्य रू० 10,000.00 की धनराशि होगी, जो चालू वित्तीय वर्ष के लिए ही है।
04. जिस व्यक्ति/सर्वाधिक बोलीदाता के हक में ठेका छोड़ा जायेगा, उसको नीलामी की समस्त धनराशि का 50 प्रतिशत तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि 50 प्रतिशत की किस्त (01 जनवरी–2026) में जमा करना होगा। यदि वह समस्त धनराशि जमा नहीं करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
05. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति/सर्वाधिक बोलीदाता के पक्ष में ठेका छोड़ा जायेगा।
06. ठेके को स्वीकृत एवं निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश होगा।
07. किसी भी ठेकेदार को ठेके को बेचने का अधिकार नहीं होगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे–सम्बन्धी या किसी अन्य को ठेका हस्तान्तरित नहीं करेगा।
08. जिस भी ठेकेदार के पक्ष में ठेके को अनुमोदित किया जायेगा, वह ठेके की चिन्हित जगह पर ही कार्य करेगा। अन्य किसी स्थल पर कार्य करने का अधिकारी नहीं होगा।
09. जिस भी ठेकेदार के पक्ष में ठेके/दुकान को अनुमोदित किया जायेगा, उसको अपने साथ दो जमानतदार (मय जमानत प्रपत्र) भी उपस्थित करना पड़ेगा।
10. ठेकेदार पानी एवं बिजली की व्यवस्था स्वयं करेगा।
11. प्रत्येक ठेकेदार को जिसके नाम ठेका छोड़ा जायेगा, उसे नियमानुसार अण्डरटेकिंग देनी होगी तथा उसे नियमानुसार 100 रूपये का स्टॉम्प एवं अपना आधार कार्ड लेकर आना होगा।

07/11/25

(महेन्द्र श्रीवास्तव)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट सं०–01,
हाथरस।

प्रतिलिपि–

1. जिला जज, हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. मुंसिफी हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. नगर पालिका, हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. कलैक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. मुनादी कराये जाने हेतु।
6. समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
7. तहसील हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

07/11/25

अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–01, हाथरस।